न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 91/2016 (उदयपुर डिक्री)

श्री सुरतसिंह पिता श्री तेजसिंह जी राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री जगदीश पिता श्री भेरूलाल जी ब्राह्मण निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री रामचन्द पिता श्री भेरूलाल जी ब्राह्मण निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती चन्दा पत्नी जगदीश जी ब्राह्मण निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती अनु पत्नी श्री रामचन्द जी ब्राह्मण निवासी नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. पटारी हल्का नूरड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय मावली जिला उदयपुर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 24–05–2016 प्रकरण संख्या 271/2011 रेवेन्यू वाद

———

उपस्थित :–1– श्री आशीष मारू अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पो. सं.–2, 3, 4

3– श्री पंकज भटनागर राजाकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं. 5, 7

——————/——————

निर्णय **दिनांक 30–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया

कि ग्राम नूरड़ा में स्थित आराजी नंबर 2731/1177 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जबकि 35 वर्षो से वह इस भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर त्रुटिपूर्ण आवंटन अपने नाम करवा लिया है, जबकि 35 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार बन चुका है। अतएव उसे खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। प्रकरण में दिनांक 28–5–2016 को पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी तथा दिनांक 24–5–2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाकर निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

"दिनांक 24–05–2016 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 कैम्प नूरड़ा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं राजपेरोकार उपस्थित। वादी व प्रतिवादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकार द्वारा राजस्व लोक अदालत की भावना से निर्णय किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। राजपेरोकार मावली द्वारा बताया गया कि वादगस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम दर्ज हो चुकी है। अतः प्रकरण को खारिज किया जावैं पत्रावली के अवलोकन व राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज हो चुकी है। अतः भूमि बिलानाम होने से वादी को कोई टाइटल नहीं बनता है एवं वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/–
(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24–5–2016 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिंनाक 31–8–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का अवेदन पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 1–9–2016 की नियत थी। अपीलान्ट को लोक अदालत के नोटिस प्राप्त हुए, जिस पर वह लोक अदालत में उपस्थित होकर फर्द–अहकाम पर हस्ताक्षर कर चला गया, बाद में उसे गांव में पता पड़ा कि वाद खारिज हो गया है। अतएव 1–8–2016 को नकल लेने पर उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। अन्दर जानकारी मयाद उसके द्वारा अपील पेश की जा रही है।

उक्त दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन के खण्डन का जवाब वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिया गया। उभयपक्ष के उक्त मयाद कण्डोन आवेदन पर बहस सुनी तो यह प्रकट आया कि अपीलान्ट स्वयं यह कहता है कि उसे लोक अदालत के नोटिस प्राप्त हुए तथा उसने फर्द–अहकाम पर हस्ताक्षर भी किये है, जो फर्द–अहकाम पर 18–4–2016 के बाद दिनांक 24–5–2016 के लिए नियत पेशी के बाद हस्ताक्षर उपलब है। प्रकरण में दिनांक 24–5–2016 की आदेशिका में अधिवक्ता वादी के भी उपस्थित होने का उल्लेख है। उपरोक्त दोनों तथ्यों से सुस्पष्ट होता है कि 24–5–2016 को निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को 1–8–2016 को होने के तथ्य विश्वसनीय नहीं है। दिनांक 24–5–2016 के निर्णय की अपील मयाद 23–7–2016 होती है, परन्तु यह अपील 1 माह से भी ज्यादा विलम्ब से पेश की गई है, जिसके लिए कोई ठोस उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। हालांकि अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह सुस्पष्ट होता है कि वादी अपीलान्ट विवादित भूमि को रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी को उसके कब्जे के स्थान पर आवंटित हो जाने से उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय दृष्टांत R.R.T. 2017(2) पेज 1139 तथा माननीय राजस्व मण्डल के नवीनतम न्याय दृष्टांत R.R.D.14–6–2017 पेज 352 अनुसार प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी

दिये जाने का काश्तकारी कानून में कोई प्रावधान नहीं होने का वर्णन है। तद्नुसार प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी का वाद पोषणीय नहीं है। दूसरे जहां तक रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी के आवंटन का प्रश्न है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश शुदा रेकर्ड उनुसार उक्त अवंटन निरस्त होकर इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट की अपील भी खारिज की जा चुकी है तथा भूमि बिलानाम दर्ज हो चुकी है। भूमि के बिलानाम दर्ज होने के बाद अब विचाराधीन अपील/वाद का वाद हेतुक ही अस्तित्वमान नहीं रहता, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण आधार पर भी किये गये निर्णय मं हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री सूरतसिंह पिता श्री तेजसिंह जी बनाम **1– जगदीश पिता श्री भेरूलाल जी**
राजपूत निवासी नूरड़ा तहसील **ब्राह्मण निवासी नूरड़ा तहसील**
मावली जिला उदयपुर (राज0) **मावली जिला उदयपुर (राज0)**
अन्य–3 व सरकार

अपील नं0 **91/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **राजसमन्द.....** मुकाम मुक्र्खे.....**24**.....माह.....**05**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**30**..... माह .....**01**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री आशीष मारू** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री विजय ओस्तवाल** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**30**..... माह ...**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।